



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शाहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website: www.kvsangathan.nic.in

फा. सं. 11015-3/2017-केविसं(प्रशा -I)/भाग-III

दिनांक :- 14.06.2018

उपायुक्त / निदेशक
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय / जेड आई ई टी


विषय :- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन के संबंध में

महोदया / महोदय,

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2018 के पत्रांक एफ. सं. 3-45/2017-यूटी-2 के संदर्भ में सूचित करना है कि 7वें वेतन आयोग के संबंध में पी एवं पी डब्ल्यू विभाग के दिनांक 04.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं 38/37/2016- पी एवं पी डब्ल्यू (ए), दिनांक 12.05.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं 38/37/2016- पी एवं पी डब्ल्यू (ए) तथा दिनांक 06.07.2017, कार्यालय ज्ञापन सं 38/37/2016- पी एवं पी डब्ल्यू (ए) के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को संशोधित पेंशन तथा पेंशन हित-लाभ प्रदान करने हेतु भारत सरकार की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये हित-लाभ केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उन सभी कर्मचारियों को प्रदान किए जाएंगे जो दिनांक 01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए तथा इसके साथ ही उन कर्मचारियों को संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन देय होगी जो दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए।

पी एवं पी डब्ल्यू विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन की प्रति कार्मिक, पी. जी. एवं पेंशन मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डॉ. शशी कान्त)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

प्रतिलिपि :

1. उपसचिव (यू टी), संयुक्त आयुक्त (कार्मिक, मा. सं. वि. मंत्रालय को उनके दिनांक 13.06.2018 के पत्र के संदर्भ में।
2. आयुक्त, केविसं के ईए / निजी सचिव।
3. अपर आयुक्त (प्रशासन / शैक्षिक), केविसं के निजी सचिव।
4. संयुक्त आयुक्त (वित्त), केविसं को आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण / शैक्षिक / प्रशासन / कार्मिक)।
6. अधीक्षण अभियंता, केविसं को सूचनार्थ।
7. सहायक आयुक्त (स्था-1), (स्था-2 तथा 3), केविसं (मुख्या.)।
8. वित्त अधिकारी, केविसं, समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ।
9. उपायुक्त (ई डी पी) को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. प्राचार्य, केवि मांस्को, काठमांडू तथा तेहरान को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
11. केविसं कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों के महासचिव।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शाहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website:www.kvsangathan.nic.in

F.11015-3/2017-KVS (Admn-I)/ VolII

Date: 14.06.2018

The Deputy Commissioner/ Director
Kendriya Vidyalaya Sangathan
All Regional Offices/ ZIETs.

**Sub: Revision of pension as per 7th CPC to retired employees of
Kendriya Vidyalaya Sangathan-Reg.**

Sir/Madam,

I am to refer to MHRD's letter F. No. 3-45/2017-UT.2 dated 13th June, 2018 and to convey the approval of the Govt. of India for revision of pension and pensionary benefits to the staff of Kendriya Vidyalaya Sangathan as per the 7th CPC in terms of D/o P&PW OM No. 38/37/2016-P&PW (A) dated 4.8.2016, OM No. 38/37/2016-P&PW (A) dated 12.05.2017 and OM No. 38/37/2016-P&PW (A) dated 6.7.2017. These benefits will be applicable to employees of KVS who retired post 1.1.2016 as well as for revision of pension/ family pension of those pensioners / family pensioners who have retired prior to 1.1.2016.

The copies of the D/o P&PWs OMs, above may be downloaded from official website of Ministry of Personnel, P.G. and Pensions.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,


(Dr. Shachi Kant)

Joint Commissioner (Pers.)

Copy to:

1. The Deputy Secretary (UT), MHRD w.r.t. MHRD's letter dated 13th June, 2018 ibid.
2. EA/ PS to Commissioner, KVS.
3. PS to Additional Commissioner (Admn./ Acad).
4. The Joint Commissioner (Finance) KVS with the request to initiate further necessary action.
5. The Joint Commissioner (Training/ Acad/ Admn./ Pers.).
6. The Superintending Engineer, KVS Hqrs for information.
7. The Asstt. Commissioner (Estt.-I), (Estt.-II & III), KVS Hqrs
8. Finance Officer, KVS, All Regional Offices for information.
9. Deputy Commissioner (EDP) with the request to upload on KVS website.
10. Principal, KV Moscow, Kathmandu and Tehran for necessary action.
11. The General Secretary recognized Staff Associations, KVS.
